



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/ टीपी /749

13.11.2024

प्रति,
सभी प्लास्टिक समुदाय ,

प्रिय महोदय/महोदया,

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद नवंबर के अंतिम सप्ताह में, संभवतः 29 नवंबर 2024 को मुंबई में “विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), पीसीएफसी और निर्यात/आयात से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ीकरण” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

• जैसा कि आप जानते हैं, FEMA विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देता है। इसलिए, विनियमन को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है।

• विदेशी मुद्रा में प्री-शिपमेंट क्रेडिट (PCFC) बैंकों द्वारा निर्यातकों को शिपमेंट से पहले लागतों को कवर करने के लिए प्रदान किया जाने वाला वित्तपोषण है। उच्च स्वीकृति अवसरों, लागत दक्षता, समय पर धन तक पहुँच, अनुपालन और बेहतर शर्तों के लिए सही आवेदन प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है।

• निर्यात और आयात लेनदेन में उचित दस्तावेज़ीकरण का पूरा ज्ञान महत्वपूर्ण है, खासकर बैंकों के साथ काम करते समय। यह अनुपालन और कानूनी आवश्यकताओं, सुचारू लेनदेन प्रसंस्करण, जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट अनुमोदन, सीमा शुल्क निकासी, लेनदेन का प्रमाण, विश्वास और विश्वसनीयता में आपकी मदद करेगा।

सत्र का संचालन फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के मेंटर श्री निजय गुप्ता द्वारा किया जाएगा, जिन्हें बैंकिंग और ट्रेजरी में 40 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने ट्रेजरी, फॉरेक्स और ट्रेड फाइनेंस फंक्शन स्थापित करने पर सलाह दी है और एंटवर्प डायमंड बैंक, बैंक मस्कट एसएओजी और अबू धाबी कमर्शियल बैंक में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्हें दुबई में मनी ट्रांसफर कंपनी स्थापित करने का भी अनुभव है और उन्होंने बैंकों, एफआईईओ, आईएमसी, आईसीएमए के डब्ल्यूआईआरसी और आईसीएआई सहित विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया है।

उपर्युक्त विषय के महत्व को देखते हुए, हम सदस्यों से इन अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं।

इसमें नाममात्र की भागीदारी फीस होगी, विवरण नीचे दिया गया है: -

प्लेक्सकौन्सिल सदस्य: 750.00 रुपये + जीएसटी

गैर-सदस्य: 1000.00 रुपये + जीएसटी

"सत्र दिन के दूसरे भाग में चाय/कॉफी ब्रेक के साथ आयोजित किया जाएगा।" इच्छुक कंपनियों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए लिंक पर पंजीकरण करें।

पंजीकरण लिंक: <https://forms.gle/UwiK74ynnaj6CNWU7>

पंजीकरण के बाद, इच्छुक कंपनियों को अग्रिम भुगतान करना होगा। कृपया ध्यान दें कि स्थान की कमी के कारण, पंजीकरण करना और अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य है। आपका अनुरोध हमें 15 नवंबर, 2024 को या उससे पहले मिल जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया श्री अनिरुद्ध पवार से anirudha@plexconcil.org /मोबाइल 9356326428 पर संपर्क करें।

सादर,

श्रीबाश दासमोहपात्रा
कार्यकारी निदेशक

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

डायनेस्टी बिजनेस पार्क, बी विंग, ग्राउंड फ्लोर,

अंधेरी कुर्ला रोड,

अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400059 - भारत

फ़ोन: +91 22 40170000

सीआईएन: U25200MH1955NPL009601